न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 37/2011(2011–00084) जिला–अजमेर

1. श्री मदन लाल तम्बोली पुत्र श्री रामचन्द्र जाति तम्बोली, निवासी आजाद नगर, देलवाड़ा रोड़, ब्यावर जिला अजमेर।
2. निर्मला टोंक पत्नी अनिल टांक जाति कलाल निवासी तेजा चौक, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती भंवरी देवी पुत्री अन्ना पत्नी देवी सिंह जाति रावत निवासी ग्राम दौलतगढ़ सिंघा हाल निवासी ग्राम खेजड़ला तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
2. श्रीमती बिरदी पुत्री अन्ना पत्नी लाडू मृतक जरिये वारिसानः–
   2/1 लाडू सिंह पुत्र मल्ला सिंह
   2/2 भगवान सिंह पुत्र लाडू सिंह
   2/3 आनन्द सिंह पुत्र लाडू सिंह
   2/4 श्रीमती चंदा देवी पुत्री श्री लाडू सिंह
   2/5 श्रीमती मंजू पत्नी राजू सिंह पुत्री लाडू सिंह
   समस्त जाति रावत निवासी ग्राम रोडा जी का बाड़िया तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
3. श्रीमती गैनी देवी पुत्री श्री अन्ना पत्नी गणेश जाति रावत निवासी रोडा जी का बाड़िया तहसील ब्यावर।
4. श्रीमती झमकू देवी बेवा पांचू
5. कान सिंह पुत्र पांचू सिंह
6. गुमान सिंह पुत्र पांचू सिंह
   समस्त जाति रावत निवासी दौलतगढ़ सिंघा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
7. श्रीमती सीता पुत्री श्री पांचू सिंह पत्नी सरदार सिंह
8. श्रीमती शीला पुत्री पांचू सिंह पत्नी मोहन सिंह
   समस्त जाति रावत निवासी ग्राम कोल्पुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
9. कुमारी डाली पुत्री श्री पांचू सिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमति झमकू देवी जाति रावत निवासी दौलतगढ सिंघा तहसील ब्यावर।
10. श्री भंवर लाल पुत्र जसराज
11. मदन लाल पुत्र जसराज
12. पुखराज पुत्र जसराज
13. ओम प्रकाश पुत्र जसराज
14. बसंतीलाल पुत्र जसराज

15. नरेन्द्र कुमार पुत्र जसराज
    समस्त जाति सोनी निवासी अमला मार्ग, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर
17. उप पंजीयक ब्यावर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय तहसीलदार ब्यावर अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या
349 दिनांक 2–2–2011

————

उपस्थित– 1. श्री अजीत सिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री जी.एस.लखावत अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 18–07–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 24–1–2011 की पालना में तहसीलदार, ब्यावर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 2–2–2011 तस्दीककर दिया। तहसीलदार, ब्यावर के उक्त नामान्तरकरण आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष राजस्व वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अपीलार्थीगण एवं शेष प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा दौलतगढ़ सिंघा तहसील ब्यावर के साबिक खसरा नम्बर 186 जिसके हाल खसरा नम्बर 197/1 रकबा 5 बिस्वा किस्म बारानी–2 व हाल खसरा नम्बर 197/3 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी 2 कुल रकबा 1–14–0 स्थित है। उक्त आराजियात वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के पिता व दादा स्व0 अन्ना जी के कब्जे काश्क में चली आ रही थी। तत्पश्चात राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दर्ज था। अन्ना की मृत्यु के पश्चात वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के पति व पिता के संयुक्त कब्जे

काश्त में चली आ रही है। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 श्री अन्ना जी की पुत्रियां है तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 के पति/पिता पांचू अन्ना का पुत्र था। वर्तमान में बिरदी पुत्री अन्ना एवं पांचू पुत्र अन्ना का स्वर्गवास हो चुका है इस प्रकार अन्ना की सम्पत्ति में वादिया/प्रत्यर्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादीया संख्या 1 व प्रत्यर्थी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादियां संख्या 2/प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8/प्रत्यर्थी संख्या 5 लगायत 9 (पांचू के वारिसान) का 1/4 हिस्सा निहित है। उक्त त्रुटिपूर्ा इन्द्राज बाबत वादिया को दिनांक 27–3–97 को जानकारी हुई। प्रतिवादी श्री पांचू ने अन्ना की सम्पत्ति अपने तन्हा नाम से अंकित करवा ली और प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 14/प्रत्यर्थी संख्या 10 लगायत 15 का विक्रय कर दी। जबकि उक्त आराजियात में वादिया/प्रत्यर्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा निहित है। अन्त में प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत बयनामों को पृथम दृष्टया शून्य घोषित किया जाकर वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार घोषित करने का कथन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा दावे के दौरान मदन लाल पुत्र श्री रामचन्द्र (प्रतिवादी संख्या 17) ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी प्रतुत किया जिस पर उसे प्रतिवादी संख्या 17 मुर्तिब किया गया।

उनका यह भी तर्क है कि वादगस्त आराजियात खसरा नम्बर 197/1 रकबा 5 बिस्वा का 11/12 हिस्सा अपीलार्थी संख्या 1 ने तत्कालीन खातेदारान से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त किया। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्रों को प्रत्यर्थी द्वारा कभी भी चुनौती प्रदान नहीं की गई फिर भी उन्हें निरस्त किये बिना क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर उपखण्ड अधिकारी ब्यावर ने शून्य प्रभावी मानते हुए प्रत्यर्थी को खातेदार घोषित कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के समक्ष दिनांक 14–2–2011 को अपील प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन है अर्थात नियमित राजस्व वाद के विरूद्ध 60 दिवस के अन्दर अपील प्रस्तुत कर दी गई थी लेकिन 60 दिवस से पूर्व ही तहसीलदार, ब्यावर द्वारा आदेश अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या 349 पारित कर दिया। जिसमें डिक्री की इजराय किया जाना अंकित कर दिया जबकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा कब इजराय जारी की गई कोई सूचना अपीलार्थी संख्या 1 को नहीं दी गई जबकि उनके समक्ष अपीलार्थी संख्या 1 जो कि प्रतिवादी संख्या 17 के रूप में पक्षकार मुर्तिब था। जिससे स्पष्ट है कि डिक्री दिनांक 24–1–2011 की कोई इजराय कार्यवाही नहीं की गई उसके बावजूद भी नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि किसी भी आदेश की डिक्री की इजराय बाबत प्रावधान आदेश 21 में प्रावधित है एवं आदेश 21 की कोई पालना तहसीलदार ब्यावर द्वारा नहीं की गई है जिससे स्पष्ट है कि कोई इजराय कार्यवाही नहीं हुई है यदि इजराय कार्यवही की गई है तो अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर

प्रदान नहीं किया गया जबकि जिस व्यक्ति के विरूद्ध इजराय की जानी है उसको साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बिना इजराय बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता एवं नियमित राजस्व वाद में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील का समय रहने के दौरान इजराय कार्यवाही भी नहीं की जा सकती है। तहसीलदार ब्यावर द्वारा नामान्तकरण संख्या 349 कानूनी प्रावधानों को नजर अन्दाज कर पारित किया गया है जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदारान यथा नोरतमल, घनश्याम पुत्रान श्री भंवरलाल, लाड कंवर पुत्री भंवरलाल 1/12 हिस्सा, चन्द्र कला बेवा ओमप्रकाश, सुशीला नाबालिग पिता ओमप्रकाश, सोनू, सीमा नाबालिग पुत्रियां ओमप्रकाश बसरबराई माता चन्द्रकला 1/6 हिस्सा, मदनलाल, पुखराज, बसंतीलाल, नरेन्द्र कुमार पुत्रान जसराज 1/6 हिस्सा से उक्त वर्णित आराजियात 197/1 रकबा 1–14–0 बीघा, खसरा नम्बर 197/1 रकबा 5 बिस्वा एवं 197/3 रकबा 1–9–0 बीघा में से 197/3 रकबा 1–9–0 अपीलार्थी संख्या 2 ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा व रखल प्राप्त कर लिया जिसके आधार पर अपीलार्थी संख्या 2 के भी हक अधिकार और स्वत्व निहित है। अतः नामान्तरकरण संख्या 349 के विरूद्ध अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 2 द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है जिससे स्पष्ट है कि अधिकार अभिलेख में अपीलार्थी संख्या 2 रेकार्डेड खातेदार होने के बावजूद तथाकथित इजराय में अपीलार्थी संख्या 2 को भी साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना नामान्तरकरण संख्या 349 पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि नियमित राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा निर्णित करने क पश्चात वह अंतिम निर्णय नहीं था एवं उक्त निर्णय व डिक्री की अपील हेतु 60 दिवस की अवधि काश्तकारी अधिनियम में प्रावधित है जो अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ब्यावर को 60 दिवस की अपील करने की अवधि गुजरने के बाद इजराय प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर दोनों पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित करना चाहिए था। नामान्तरकरण संख्या 349 पर इजराय अथवा इजराय प्रार्थना पत्र की संख्या बाबत कोई अंकन नहीं है मात्र डिक्री मुकदमा इब्तदाई अंकित किया गया है एवं निर्णय व डिक्री की दिनांक भी अकित नहीं की गई है जिससे स्पष्ट है कि कोई इजराय कार्यवाही नहीं हुई है मात्र डिक्री के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 349 तस्दीक किया गया जबकि बिना इजराय कार्यवाही किये मात्र डिक्री के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करने का कोई प्रावधान नहीं है। नामान्तरकरण कार्यवाही समरी कार्यवाही है जहां नियमित राजस्व वाद निर्णित होने के पश्चात अपील हेतु 60 दिवस का समय निर्धारित है ऐसी स्थिति में उक्त समयावधि तक नियमित राजस्व वाद की कार्यवाही नियमित मानी जाती है तथा नियमत राजस्व वाद/अपील के विचारण के दौरान नामान्तरकरण फिस्कल कार्यवाही होने से स्वतः ही स्थगित रहती है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार ब्यावर द्वारा

पारित नामान्तरकरण संख्या 349 दिनाक 2–2–2011 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष राजस्व वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जिसका निर्णय दिनांक 24–1–2011 को निर्णय/डिक्री जारी की गई थी जिसकी पालना में तहसीलदार, ब्यावर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 2–2–2011 तस्दीक किया है। अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के समक्ष दिनांक 25–2–2011 को अपील की थी उससे पहले तहसीलदार, ब्यावर द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया है। उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा राजस्व वाद मे पारित निर्णय में डिक्री जारी की है तभी तहसीलदार, ब्यावर द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया है। उपखण्ड अधिकारी ब्यावर ने दावे में घोषणा खसरा नम्बर 197/1 रकबा 5 बिस्वा किस्म बारानी–2 व हाल खसरा नम्बर 197/3 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी 2 कुल रकबा 1–14–0 की है जिसके आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। राजस्व अपील अधिकारी अजमेर में अपीलार्थीगण द्वारा की गई अपील खारिज हुई है। नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 2–2–2011 उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय/डिक्री की पालना में नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। तथा उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में स्वीकार किये गये नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील माननीय न्यायलय में पोषणीय नहीं है। तहसीलदार, ब्यावर द्वारा पारित आदेश नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 2–2–2011 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया। उक्त कथन के समर्थन में प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने आर.आर.डी. 1989 पेज 340 प्रस्तुत कर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के डिक्री/आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा 60 दिवस है। तहसीलदार, ब्यावर द्वारा दिनांक 2–2–2011 को नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। विवादित नामान्तरकरण की अपील माननीय न्यायालय में की जा सकती है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के तहत मामला विवादित है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 45/11 वास्ते उद्घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जिसका निर्णय दिनांक 24–1–2011 को निर्णय/डिक्री जारी की गई थी जिसकी पालना में तहसीलदार, ब्यावर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 2–2–2011 जरिये डिक्री इजराय के आदेशानुसार

खसरा नम्बर 197/1 रकबा 5 बिस्वा किस्म बारानी–2 व हाल खसरा नम्बर 197/3 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी 2 कुल रकबा 1–14–0 पर नवीन इन्द्राज श्रीमती भंवरी देवी पुत्री अन्ना, पत्नी देवी सिंह जाति रावत हिस्सा 1/4 साकिन देह हाल ग्राम खेजड़ला, लाडू सिंह पुत्र मला सिंह, भगवान सिंह, आनन्द सिंह पि0 लाडू सिंह, श्रीमती चन्दा देवी पुत्री लाडू सिंह, श्रीमती मंजू पत्नी राजू सिंह पुत्री लाडू सिंह कौम रावत हिस्सा 1/4 साकिन रोडा जी का बाडिया, ब्यावर श्रीमती मैना देवी पुत्री अन्ना पत्नी गणेश जाति रावत हिस्सा 1/4 कौम रावत निवासी रोडा जी का बड़िया,ब्यावर श्रीमति झमकू देवी बेवा पांचू जाति रावत साकिन देह कान सिंह, गुमान सिंह पि0 पांचू सिंह, सीता पुत्री पांचू सिंह पत्नी सरदार सिंह निवासी कोलपुरा, श्रीमती शीला पुत्री पांचू सिंह जाति रावत नाबालिग बसरबराही माता श्रीमती झमकू खुद साकिन देह खातेदार के नाम का अंकन किया गया था। तहसीलदार, ब्यावर द्वारा उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा जारी डिक्री/निर्णय की पालना में ही नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 2–2–2011 पारित किया गया है। चूंकि नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग्स है जिसमें किसी के हक एवं अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। नामान्तरकरण विवादित भूमि में कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करता है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में वसीयत, गोद, उत्तराधिकार के जटिल विवाधक का विनिश्चय करना संभव नहीं होता है। अपीलार्थीगण को अपने हक व स्वामित्व को स्थापित करने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर चाराजोही करके प्राप्त कर सकते है। इस अपील में अपीलार्थीगण को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, द्वारा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय/डक्री दिनांक 24–01–2011 की पालना में ही नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 2–2–2011 पारित किया है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, ब्यावर द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 2–2–2011 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर